कार्यालय :– सिविल सर्जन–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पाकुड़।
निविदा संख्या – 02/12

ज्ञापांक ..../पाकुड़, दिनांक ....

–: पुनर अल्पकालीन निविदा :–

पाकुड़ सदर अस्पताल में रक्त अधिकोष (ब्लड बैंक) खोलने हेतु (अधिष्ठापन हेतु) लब्ध प्रतिष्ठित निर्माताओं/या उनके अधिकृत विक्रेताओं से निम्नलिखित शर्त्तों के साथ Blood Donor Couch एवं Blood collection Monitor क्रय हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 15.02.2012 के अपराह्न 2:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 15.02.2012 को अपराह्न 3:30 बजे उपायुक्त, पाकुड़ के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जायेगा। निविदा हेतु रक्त अधिकोष से संबंधित उपरोक्त मशीन एवं उपकरण इत्यादि सूची तथा शर्त्तें अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेवसाईट **www.pakur.nic.in** के **Notice Section** पर देखा जा सकता है।

अल्पकालीन निविदा संख्या 02/12 में मशीन/उपकरण/उपस्कर की सूची :–

Sl.No.	Item Description
01	Blood Donor Couch
02	Blood collection Monitor

अल्पकालीन निविदा संख्या 02/12 में मशीन/उपकरण/उपस्कर की शर्तें :–

1. निविदा दो भागों में देना अनिवार्य होगा। “A” तकनीकि बीड एवं “B” वित्तीय बीड। तकनीकि बीड की शर्तें पूर्ण होने पर ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।

तकनीकि :–

2. निविदा के साथ अद्यतन आयकर एवं वाणिज्यकर चुकता प्रमाण–पत्र (स्वच्छता प्रमाण–पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 10,000/– रू0 बैंक ड्राफ्ट/Multicity Cheque जो सिविल सर्जन–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पाकुड़ के पदनाम से होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता का वार्षिक Turn-over 5,00,000/– रू0 से कम नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माता कम्पनी का स्वंय अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं के निर्माता कम्पनी का रूग्नावस्था अथवा काली सूची में दर्ज नहीं है, एतद् संबंधित प्रमाण–पत्र (शपथ पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता स्वयं कम्पनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता हो सकते है परन्तु अधिकृत करने सम्बधी प्राधिकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय :–

1. निविदा में अंकित मूल्य सभी कर (VAT) सहित कम्प्यूटर द्वारा अंकित होना चाहिए ।

अन्य शर्त्ते :–

1. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर रक्त अधिकोष हेतु मशीन, उपकरण एवं अन्यान्य सामान की आपूर्त्ति सदर अस्पताल, पाकुड़ के भंण्डारगृह में करना होगा । समय पर आपूर्त्ति नही करने पर आपूर्त्ति आदेश रद्द किया जा सकता है अथवा दण्ड स्वरुप 5%राशि कटौती की जा सकती है।
2. निविदा में अंकित मशीन, उपकरण एवं अन्यान्य सामान के नाम के सामने निर्माता कम्पनी का नाम अवश्य अंकित होना चाहिए ।
3. अनुमोदित आपूर्तिकर्त्ता को मशीन उपकरण के रख–रखाव हेतु पाँच वर्षों के लिए AMC करना होगा।
4. निविदा खुलने के समय वर्णित मशीन एवं उपकरण का नमूना/केटलॉग लाना अनिवार्य होगा ।
5. वैधानिक मामलों का निष्पादन हेतु न्यायाधिक क्षेत्र पाकुड़ न्यायालय होगा।
6. निविदा के शर्त्तो में परिवर्त्तन लाने अथवा विना कारण बताए निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. मशीन, उपकरण एवं अन्यान्य की आपूर्त्ति हेतु अलग से कोई अतिरिक्त परिवहन देय नही होगा।
8. सामग्री की दर सभी कर सहित सूची में अंकित करना होगा।
9. आपूर्त्तिकर्त्ता को रख–रखाव हेतु सरकारी कर्मी को प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा।
10. मशीन, उपकरण एवं अन्यान्य की मानक कम्पनी का होना चाहिए ।

सिविल सर्जन–सह–सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, पाकुड़।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समित, पाकुड़।